राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 664 / 2005 / भरतपुर

1. सोहनलाल पुत्र रघुनाथ उर्फ रूग्गा
2. प्रीतम पुत्र रघुनाथ उर्फ रूग्गा मृतक जरिये वारिसान–
   2 / 1. जगदीश प्रसाद पुत्र प्रीतम
   2 / 2. सुमरन सिंह पुत्र प्रीतम
   2 / 3. बनवारी पुत्र प्रीतम
   2 / 4. शारदा देवी पुत्री प्रीतम
   समस्त जाति माली निवासी बयाना जिला भरतपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर
3. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर जरिये नौबत खां प्रतिनिधि बोर्ड व अध्यक्ष पीर मौहम्मद सचिव वक्फ कमेटी बयाना जिला भरतपुर

...रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, श्री अनिल शर्मा अभि0रेस्पो0

दिनांक : 4–5–22

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 111 / 2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–1–2005 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 299 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वाके कस्बा बयाना के वादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं। उक्त आराजी संवत् 2012 से पूर्व से ही बदस्तूर अब तक वादीगण के ही कब्जे काश्त में हैं तथा उक्त आराजी वादीगण को उनके पिता रघुनाथ से विरासतन प्राप्त हुई थी किन्तु उक्त आराजी का इन्द्राज कब्रिस्तान खिलाफ कानून व मौका है। जबकि मौके पर एक भी कब्र नही है तथा चारों ओर काबिज काश्त आराजी है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 7–4–84 को धमकी देने पर हुई इसलिए वादीगण को दावा प्रस्तुत करना पडा। वाद एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय ने 2 तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 9–4–91 को रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के वाद कारण खारिज कर दिया। जिसकी अपीलांट/वादीगण द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 26–9–96 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व बोर्ड ऑफ मुस्लिम द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 25–11–99 को खारिज हो गई। जिस पर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष आया। विचारण न्यायालय ने सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं मानते हुए बिना किसी तनकी पर कोई निर्णय किये ही वादीगण का वाददिनांक 25–5–2002 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष की गई जो दिनांक 13–1–2005 को खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट्स/वादीगण का वाद सन् 1984 से विचाराधीन है, जो पूर्व में रेसज्यूडिकेटा मानते हुए विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने सही माना था, तो अब इतने वर्षो पश्चात् क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का बिन्दु कैसे आया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने तनकीयात पर साक्ष्य लिये बिना ही रेस्पो.सं.3 के प्रार्थना पत्र ही वादी के वाद को श्रवणाधिकार नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी सही मानने में भारी भूल की है।

ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें तथा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है एवं जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में ही विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद संधारण योग्य नहीं होने से निर्णय दिनांक 25–2–2002 द्वारा खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट्स की अपील को खारिज किया है, जो उचित है। अंत में उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी वक्फ बोर्ड से संबंधित होना प्रकट होता है तथा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के संबंध में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–5–2002 में यह अंकित किया है कि–

''पक्षकारान के योग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी–पत्रावली का अवलोकन किया–रिकार्ड के अवलोकन से वकील प्रतिवादी श्री अजीत सिंह का यह तर्क निर्विवाद है कि आराजी मुतनाजा सम्वत 2013 में प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार किस्म के खाने में गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है यह भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ की सम्पत्ति घोषित की गई है। अदालत मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना के निर्णय दिनांक 26–7–76 से ग्राम बयाना की आराजी खसरा नबर 299/6–17 भूमि को वक्फ की सम्पत्ति करार देते हुए इसका कब्जा राजस्थान बोर्ड ऑफ मुसलिम वक्फ को दिलाने के आदेश दिए गए हैं। मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना का निर्णय अपील में यथावत रखा गया है। उपरोक्त विवेचन से यह बिलकुल स्पष्ट है कि भले ही आज की तारीख में किसी कारणबस यह भूमि वक्फ की राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है किन्तु वक्फ बोर्ड एवं मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना के निर्णय अनुसार यह भूमि वक्फ बोर्ड में निहित हो चुकी है चूंकि आराजी विवादग्रस्त सम्वत 2013 में गैर

मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है अतः यह आशंका भी नहीं रहती कि भूमि को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि हो ऐसी स्थिति में इस भूमि में श्रवण अधिकार के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की निम्नाकित Finding चस्पा होती है–

Wakf Act (43 of 1995) S. 85- Bar of Jurisdiction of Civil Court Applicability- Were no suit or other legal proceedings shall lie- would mean no suit or legal proceedings shall be carried on or continued to be entertained. (AIR 2000 P.19 Raj)

अतः घोषित शुदा वक्फ सम्पत्ति पर खातेदारी देने हेतु वाद इस न्यायालय में तब तक संधारणीय नहीं है जब तक वादीगण वक्फ बोर्ड के निर्णय को अपास्त करवा कर इस भूमि को वक्फ सम्पत्ति से मुक्त नहीं करवा लाते।''

8. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–5–2002 से सहमत होते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 13–1–2005 द्वारा अपीलांट/वादीगण की अपील को खारिज किया है, जो उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से पूर्णतया सहमत हैं एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–1–2005 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–5–2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य